

26  
35  
30/6/82  
25 JUN 1982



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (II)  
PART II-Section 3-Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/फाल्गुन 5, 1903  
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/PHALGUNA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1982

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT  
(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th February, 1982

क्र.सं० 92(अ) — केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (प्रवाधि-  
हृत कब्जे की बेवखानी) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा  
3 द्वारा प्रवण शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखी सारणी के  
स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को जो मारमुगाव पत्तन न्यास में भारत  
सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त  
अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है  
और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे कार्य करेगा जो उक्त  
अधिनियम द्वारा या इस के अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते  
हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2)  
में तबतक प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के मबन्ध में अपने  
अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

S.O. 92(E).—In exercise of the powers conferred by section 3  
of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants)  
Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints  
the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being  
officer of the Mormugao Port Trust equivalent to the rank  
of a Gazetted officer of the Government of India, to be Estate  
Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise  
the powers conferred and perform the duties imposed on Estate  
Officer by or under the said Act, within the local limits of his  
respective jurisdiction in respect of the public premises speci-  
fied in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं	Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)	(A)	(B)
सचिव, मारमुगाव पत्तन न्यास, मारमुगाव (गोवा)	मारमुगाव पत्तन की सीमाओं के अन्तर् मारमुगाव पत्तन न्यास परिसर	Secretary, Mormugao Port Trust, Mormugao (Goa)	Premises of Mormugao Port Trust within the limits of Port of Mormugao.

[सं० पी डब्ल्यू/डी एल-14/81]

[No. PW/PGL-14/81]

का०भ्रा० 93(अ) —केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्रामादित कब्जे की बेवखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे लिखी सारणी के स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को, जो कांडला पत्तन न्यास में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

## सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
उपसचिव, कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम, कच्छ	कांडला पत्तन की सीमाओं के अन्दर कांडला पत्तन न्यास परिसर।

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल-14/81]

S.O. 91(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Kandla Port Trust and being equivalent in the rank of a Gazetted Officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

## THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Deputy Secretary, Kandla Port Trust, Gandhidham-Kutch.	Premises of Kandla Port Trust within the limits of Port of Kandla.

[No. PW/PGL-14/81]

का०भ्रा० 94(अ) —केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्रामादित कब्जे की बेवखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे सारणी के स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को, जो तूतीकोरिन पत्तन न्यास में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

## सारणी

अधिकारी का नाम	सार्वजनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सचिव, तूतीकोरिन पत्तन न्यास तूतीकोरिन	तूतीकोरिन पत्तन न्यास की सीमाओं के अन्दर तूतीकोरिन पत्तन न्यास

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल-14/81]

S.O. 94(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Tuticorin Port Trust equivalent to the rank of Gazetted officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

## THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Secretary, Tuticorin Port Trust, TUTICORIN	Premises of Tuticorin Port Trust within the limits of Port of Tuticorin.

[No. PW/PGL-14/81]

का०भ्रा० 93(अ) —केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्रामादित कब्जे की बेवखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे लिखी सारणी के स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को, जो परादीप पत्तन न्यास में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

## सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सम्पदा अधिकारी, परादीप पत्तन न्यास परादीप	परादीप पत्तन की सीमाओं के अन्दर परादीप पत्तन न्यास परिसर

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल-14/81]

S.O. 95(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Paradip Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estates Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Estate Officer, Paradip Port Trust PARADIP.	Premises of Paradip Port Trust within the limits of Port of Paradip.

[No. PW/PGL-14/81]

का०प्रा० 96(अ)—केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखी सारणी के स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को जो कोचीन पोर्टन ट्रस्ट में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते हैं। यह अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

## सारणी

अधिकारी का पद नाम	सार्वजनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
उप अध्यक्ष, कोचीन पोर्टन ट्रस्ट, कोचीन	कोचीन पोर्टन की सीमाओं के अन्दर कोचीन पोर्टन ट्रस्ट परिसर

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एन-14/81]

S.O. 96(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the table below, being officer of the Cochin Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Deputy Chairman, Cochin Port Trust, COCHIN.	Premises of Cochin Port Trust within the limits of Port of Cochin.

[No. PW/PGL-14/81]

का०प्रा० 97(अ)—केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे लिखी सारणी के स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को जो मद्रास पोर्टन ट्रस्ट में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

## सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
उप अध्यक्ष, मद्रास पोर्टन ट्रस्ट मद्रास-600001	मद्रास पोर्टन की सीमाओं के अन्दर मद्रास पोर्टन ट्रस्ट परिसर

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एन-14/81  
दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव]

S.O. 97(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Madras Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government of India, to be Estate officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premise and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy Chairman, Madras Port Trust, MADRAS-600001.	Premises of Madras Port Trust within the limits of Port of Madras.

[PW/PGL-14/81]

D.K. JAIN, Jt. Secy

